न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

चुटा यादव बनाम हेमराज यादव वगैरह

वाद संख्या – 102/2023

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14.09.23	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के चुटा यादव पिता स्व0 गुलर महतो के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि खतियान से हासिल है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा जोत कोड किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है मौजा – करनोडीह, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत, खाता नं0 – 12, प्लॉट नं0 – 1483 रकबा – 26.33 डी0 चौहदी उ0 – गेनी सिंह, दं0 – बोधी गोप, पू0 – बोधी गोप, पं0 – जयराम गोप। द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से जोत कोड कर रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि खतियानी भूमि है जो जैराम गोप वल्द रेवा गोप के नाम पर इन्द्राज पाया गया है। तथा बटवारा के आधार पर प्रथम पक्ष को रकबा – 26.33 डी0 हासिल है जिसपर द्वितीय पक्ष के सदस्यगण जे0 सी0 बी0 मशीन लाकर कार्य कर रहें हैं। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बटवारा कि छायाप्रति, खतियान कि छायाप्रति, दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर बताया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खतियानी खाते कि जमीन है जो उभय पक्षों के पूर्वज जयराम गोप वगैरह के नाम पर है जिसपर प्रथम पक्ष के द्वारा अपने गोतिया जैयराम गोप वगैरह के जमीन पर रातो रात जे0 सी0 बी0 मशीन लगाकार अपने नीजी जमीन में मिट्टी	

समतलीकरन किये हैं तथा न्यायानलय में झुठा मुकदमा दायर कर दिये हैं। जिसमें दिनांक 01/02/2014 को भी पंचायत हुई थी तथा उक्त जमीन पर 20/02/2013 को सरकारी कुआँ मनरेगा के तहत पूरे ग्रामिण के हित में खेती के उपयोग हेतु बनाया गया था जिसपर कब्जा के नियत से भी प्रथम पक्ष के द्वारा मुकदमा लाया गया है जो गलत है एवं प्रथम पक्ष के द्वारा बटवारा से सबंधित दस्तावेज दाखिल किया गया है उसपर जीवित व्यक्तियों के द्वारा अपना हस्ताक्षर के विषय में कहा गया कि यह मेरा हस्ताक्षर नहीं हैं इससे साबित होता है कि बटवारा नामा फर्जी है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में पंचायत कि कॉपी ग्रामिणों कि हस्ताक्षर कि छायाप्रति एवं खतियान कि छायाप्रति दाखिल किया गया है।

अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी सरिया के $DR. No - 924/23$ दिनांक 13/07/2023 के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया अवलोकन के पश्चात प्रतीत होता है कि उक्त वाद बटवारा को लेकर लाया गया है जिसका निपटारा इस न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया $[Appeal\ (Crl.)401\ of\ 2004]$ कहा है कि $"\ldots\ldots more\ preventive\ in\ nature\ and\ not\ punitive\ in\ their\ effect\ and\ consequences"$. अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.10.03 13:11:26 +05:30
Location: 192.168.1.13